प्रेस नोट दिनांक 30.08.223

(1). आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मुन्नीलाल तथा उनके हमराही आरक्षी जयनारायण पटेरिया द्वारा अभियुक्त अजय सोनकर पुत्र रामेश्वर सोनकर निवासी नयागांव सतना म0प्र0 को 52 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माम एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मुन्नीलाल तथा उनके हमराही आरक्षी जयनारायण पटेरिया द्वारा अभियुक्त अजय सोनकर पुत्र रामेश्वर सोनकर निवासी नयागांव सतना म0प्र0 को 52 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(5). आज दिनाँक-30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में ,डॉग स्क्वॉयड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा रक्षाबंधन पर्व /पूर्णिमा के अवसर पर सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट आदि स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(6). "शक्ति दीदी" एवं "मिशन शक्ति"अभियान के तहत महिला एवं बाल अपराध के सम्बन्ध में SPC (स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट) के बच्चों को जागरुक किया गया

(7). आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" एवं ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा द्वारा उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह एवं महिला आरक्षी दुर्गेश नन्दनी सिंह के द्वारा तुलसी इण्टर कालेज में छात्र/छात्राओं को SPC (स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट) के तहत पुलिस की कार्यशैली के सम्बन्ध मे विस्तृत रुप से जानकारी देकर जागरुक किय गया । इस गोष्ठी में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के बच्चों को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित/जागरूक किया गया । शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर

लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को मिशन शक्ति एवं शक्ती दीदी के तहत बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'' जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2023 धारा 376(AB),376(2)(K)(F),323,506 भादवि0 व 5M/6 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त पीडिता के पिता को आजीवन कारावास व 43 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 10.07.2023 को बाल कल्याण अधिकारी उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री के साथ जबरजस्ती बलात्कार किया एवं मारपीट पीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 162/2023 धारा 376(AB),376(2)(K)(F),323,506 भादवि0 व 5M/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना निरीक्षक अपराध श्री अभय राज सिंह द्वारा की गयी विवेचक द्वारा तत्वरित संज्ञान लेते हुए दिनांक 11.07.2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 02.08.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा सूचना दर्ज के मात्र 52 दिन में एवं ट्रायल के मात्र 21 दिन में आरोपी को अभियुक्त को आजीवन कारावास व 43 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय तथा उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 67/2004 धारा 279,337,338,304ए आईपीसी के वारंटी अभियुक्त सच्चिदानंद पटेल पुत्र रामसलोन निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा
2. आरक्षी अजीत यादव

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशन तथा उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 99 /23 धारा 307/506 आईपीसी के वांछित अभियुक्त

बछराज निषाद पुत्र रज्जू उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम तिलिया मजरा भीटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री बालकिशन थाना रैपुरा
2. आरक्षी मोहम्मद अदनान

(11). आज दिनाँक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में रक्षाबंधन के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर की उपस्थिति में पहाड़ी पुलिस बल के साथ कस्बा पहाड़ी मे पैदल गस्त किया गया । पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों एवं सर्राफा व्यपारियो से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

(12). आज दिनाँक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में रक्षाबंधन के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकमल के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह की उपस्थिति में मानिकपुर पुलिस बल के साथ कस्बा मानिकपुर,रेलवे स्टेशन,बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर पैदल गस्त किया गया व संदीग्ध वस्तुयों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों एवं सर्राफा व्यपारियो से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

(13). आज दिनाँक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में रक्षाबंधन के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकमल के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह की उपस्थिति में मानिकपुर पुलिस बल के साथ कस्बा मानिकपुर,रेलवे स्टेशन,बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर पैदल गस्त किया गया व संदीग्ध वस्तुयों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों एवं सर्राफा व्यपारियो से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।